न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 90 / 2022 (2022 / 272)

1 रामकिशन पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम सांवतसर तहसील मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज।

——वादीगण

बनाम

1 संतोष पुत्री बजरंग जाति रावणा राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.7.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या 614–626 के खसरा संख्या 619 / 5062 रकबा 0.48हैक्टर किस्म नहरी–2 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 16.6.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार हैः–

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	रामाकिशन पुत्र रामकरण कौम जाट सा.सांवतसर किशनगढ जिला अजमेर खातेदार	619 / 5062 / 1	0.4686	नहरी–2
	कुल योग	किता 1	रकबा 0.4686	
2	सन्तोष पुत्री बजरंग कौम रावणा राजपूत सा.देह खातेदार	619 / 5062 / 2	0.0114	नहरी–2
	कुल योग	किता 1	रकबा 0.0114	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी का हिस्सा नीला रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादी का हिस्सा आरेंज रंग से दर्शित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी एवं उनके गवाह मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा घोषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता हैः–

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	रामाकिशन पुत्र रामकरण कौम जाट सा.सांवतसर किशनगढ जिला अजमेर खातेदार	619 / 5062 / 1	0.4686	नहरी–2
	कुल योग	किता 1	रकबा 0.4686	
2	सन्तोष पुत्री बजरंग कौम रावणा राजपूत सा.देह खातेदार	619 / 5062 / 2	0.0114	नहरी–2
	कुल योग	किता 1	रकबा 0.0114	

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पचोली)

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. रामाकिशन पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम सावतसर तहसील मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।
----वादीगण

बनाम

1.संतोष पुत्री बजरंग जाति रावणा राजपुत निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 90/2022 (2022/272)
निर्णय दिनांकः– 11.7.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री भारती पोपआनी वकील वादी पैरोकार सरकार जर्ये नायब तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर चाही जमाबंदी 2076 के खाता संख्या नया–पुराना 614–626 के खसरा संख्या 619/5062 के रकबा 0.4800हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.6.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
	रामाकिशन पुत्र रामकरण कौम जाट सा.सांवतसर किशनगढ जिला अजमेर खातेदार	619/5062/1	0.4686	नहरी–2
	कुल योग	किता 1	रकबा 0.4686	
2	सन्तोष पुत्री बजरंग कौम रावणा राजपूत सा.देह खातेदार	619/5062/2	0.0114	नहरी–2
	कुल योग	किता 1	रकबा 0.0114	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगान कायम करे। इस आश्य का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

दीज ....मुवलिक...बावत्..............................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.............................. ....को अदा करें

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.7.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई		रुपया	पैसा	मुदयलाह		रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा				स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत				स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील				महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफर्रिक	....	----	----	मुतफर्रिक	....	----	----
मीजान	....	0	0	मीजान	......	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner